संख्या: 9/2018/414/सत्रह-म-2018-6-9(139)/2012

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2018

विषय: प्रतिस्थापन के आधार पर विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-49/सा0शा0/छः-30/वाहन क्रय/ 2016-17 दिनांक 14-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में मोटर गाड़ी के क्रय किये जाने हेतु आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत वाहन क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 07 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन के आधार पर निम्नलिखित तालिकानुसार 04 महिन्द्रा बोलेरो एस0एल0ई0 पावर बीएस-4, 02 मारूति सियाज डेल्टा पेट्रोल व 01 मारूति डिजायर बीडीआई कार डीजल के क्रय हेतु कुल वाहन क्रय मूल्य रू0 44,64,966/- (रूपये चौवालीस लाख चौसठ हजार नौ सौ छाछठ मात्र) के साथ ही अनुमानित भाडा चार्जेज रू0 1,35,034/-(रू0 एक लाख पैतीस हजार चौतीस मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 46,00,000/- (रू0 छियालीस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

वाहन की फर्म का नाम	वाहन का माडल	वाहन की संख्या	प्रति वाहन दर (रूपये में)	कुल धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5
महिन्द्रा जीप	बोलेरो एसएलई पावर बीएस 4-जीप जीएसटी सहित	04	5,95,441.00	23,81,764.00
मारूति सुजकी इण्डिया लि 0	सियाज डेल्टा पेट्रोल जीएसटी सहित	02	7,21,522.00	14,43,044.00
मारूति सुजकी इण्डिया लि0	डिजायर बीडीआई कार डीजल जीएसटी सहित	01	6,40,157.51	6,40,157.51
	योग-	07		44,64,965.51 या 44,64,966.00
				रूपये चौवालीस लाख चौसठ हजार नौ सौ छाछठ मात्र

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(1) प्रतिस्थापन प्रश्नगत वाहनों का क्रय डी0जी0एस0एण्डडी0 के नये जेम पार्टल पर उपलब्ध वाहनों की न्यूनतम दरों व सूक्ष्म,लघु एवं माध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दिये गये प्राविधानानुसार किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन के आधार पर क्रय किये जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के संगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था/सीमा तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्राविधानित धनराशि से वाहनों का क्रय प्रतिस्थापन स्वरूप ही किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वाहनों के क्रय हेतु घोषित निष्प्रयोज्य वाहनों की धनराशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(5) प्रश्नगत वाहनों का क्रय/धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वाहन क्रय हेतु गुणवत्ता, वरीयता आदि सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

(7) मितव्यता के दृष्टिगत वाहनों की नितांत आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर प्रतिस्थापन हेतु वाहन का क्रय किया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- 001- निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-14-मोटर गाडियों के क्रय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या: 9 /2018/414 (1)/सत्रह-म-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

(3) संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार वाहन क्रय की नियमानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही चालू वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(4) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com